कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 4305/2019 अशोक कुमार ओझा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2019 द्वारा अपीलार्थी श्री अशोक कुमार ओझा, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य (राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैमरा कलां जिला भरतपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साकरिया तला जिला बाड़मेर) को विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/अशोक/4305/2019 दिनांकः 26.12.2019 द्वारा खारिज कर दिया गया।

श्री अशोक कुमार ओझा द्वारा उक्त अभ्यावेदन निस्तारण आदेश के विरूद्ध माननीय अपील अधिकरण में एक अन्य अपील संख्या 159/2020 दायर की गई जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 02.03.2020 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसका नियमानुसार परीक्षण कर 15 दिवस के भीतर विधि अनुसार, एक आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारण करने सम्बन्धी आदेश पारित किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा पुनः प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों के मद्देनजर अपना पदस्थापन/समायोजन राउमावि धोरमुई, सेवर/राउमावि मुरवारा,सेवर/राउमावि बदरीपुर, डीग/राउमावि नाहरोली गुर्जर, बयाना/राउमावि महलोनी, बयाना/राउमावि मुसेपुर, कामां अथवा राउमावि सुरोता, कुम्हेर जिला भरतपुर में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी की विकट पारिवारिक परिस्थितियों एवं व्यक्तिगत कठिनाईयों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्री अशोक कुमार ओझा, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साकरिया तला जिला बाड़मेर का पदस्थापन स्थान संशोधित किया जाकर उनका समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धोरमुई, सेवर जिला भरतपुर (नवक्रमोन्नत) में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/अशोक ओझा/159/436/2020 दिनांकः 12.03.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार,जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा जोधपुर/भरतपुर संभाग, जोधपुर/भरतपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर/बाडमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, भरतपुर बाड़मेर/।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री अशोक कुमार ओझा, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)